न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1566/2026

CNR NO.UPBH010041442026

राधेश्याम उम्र 25 वर्ष पुत्र राम मूरत, निवासी–लीलापुरवा, दा०–मटिहा, थाना–कोतवाली नानपारा, जनपद–बहराइच––– ––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ––––––––अभियोगी।

अपराध संख्या–137/2026,
धारा–190, 109(1), 115(2), 352,
351(3) बी०एन०एस०,
थाना–कोतवाली नानपारा, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

10.07.2026

1. थाना–कोतवाली नानपारा, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–137/2026, अन्तर्गत धारा–190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० में जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी रमेश कुमार के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–23.06.2026 को निरस्त किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उसका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय में प्रथम है। किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में न तो विचाराधीन है और न ही निस्तारित ही हुई है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–12.05.2026 को समय करीब 06:00 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी राधेश्याम ने जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा प्रमोद कुमार के बड़े पिता के लड़के विनोद पर बन्दूक से फायर झोंक दिया, जिससे विनोद घायल हो गया तथा विपक्षी राधेश्याम के साथ मौजूद विपक्षीगण धनीराम, राममूरत व शंकर ने उसे व उसके भाई कैलाश एवं रामरूप को लात, घूंसों व डण्डों से मारा–पीटा व गाली देकर जान से मारने की धमकी दी है।

5. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–12.05.2026 को समय 20:35 बजे आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम एवं सह–अभियुक्तगण धनीराम, राममूरत व शंकर के विरूद्ध थाना–कोतवाली नानपारा में अपराध संख्या–137/2026, धारा–109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौरान विवेचना मामले में धारा–190 बी०एन०एस० की वृद्धि की गई एवं दौरान इलाज सह–अभियुक्त राममूरत की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम विलोपित किया तथा सह–अभियुक्त विद्याधर का नाम प्रकाश में लाया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि वादी व उसके पिता देशराज, रामरुप, प्रमोद व कैलाश आवेदक/अभियुक्त की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो आवेदक/अभियुक्त के पिता राम मूरत द्वारा वादी व उसके परिवार को अपनी जमीन पर कब्जा करने से रोका, जिस पर वादी व उसके परिवार वालों द्वारा आवेदक/अभियुक्त के पिता राम मूरत को बुरी तरह से लाठी–डण्डा से मार–पीट रहे थे, तब आवेदक/अभियुक्त अपने पिता को बचाने गया, इस कारण आवेदक/अभियुक्त को भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। वादी, उसके पिता देशराज, राम रुप, प्रमोद, कैलाश द्वारा आवेदक/अभियुक्त के पिता को बुरी तरह से मारा–पीटा व बाद में गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में आवेदक/अभियुक्त के बहनोई

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:30:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रमेश कुमार द्वारा वादी, उसके पिता देशराज, रामरुप, प्रमोद व कैलाश के विरुद्ध थाना–कोतवाली नानपारा में मुकदमा अपराध संख्या–141/2026, धारा–105 बी०एन०एस० का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें दौरान विवेचना धारा–105 बी०एन०एस०, धारा–103(1) बी०एन०एस० में तरमीम हुई। आवेदक/अभियुक्त द्वारा केवल लड़ाई–झगड़े को बीच बराव कराने की कोशिश की गई थी, इसी कारण उसको भी फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। उपरोक्त मार–पीट जमीनी विवाद को लेकर हुई है। दोनों पक्षों को चोटें आईं, जिसमें वादी व उसके परिवार वालों के मारने–पीटने के कारण सह–अभियुक्त राम मूरत की मृत्यु हो गयी। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखाया गया है। आवेदक/अभियुक्त, मृतक राममूरत का पुत्र है, जिस कारण वादी द्वारा उसको नामजद कर दिया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), बहराइच द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के बड़े पिता के लड़के विनोद को बन्दूक से फायर झोंक दिया एवं वादी व उसके भाई कैलाश, रामरूप को लात, घूंसों, हसिया, भाला व डण्डों से मारा–पीटा एवं गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का समर्थन वादी एवं अन्य साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में किया है। पुलिस द्वारा सह–अभियुक्त विद्याधर एवं आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम की निशाँदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध कट्टा(आग्नेयास्त्र) व भाला बरामद किया गया है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मामले की विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई तो उसके द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने, साक्षियों को प्रभावित करने एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भाग जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् परिशीलन किया।

9. उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसने व सह–अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के बड़े पिता के लड़के विनोद को बन्दूक से फायर झोंक दिया एवं वादी व उसके भाई कैलाश, रामरूप को लात, घूंसों, भाला, हसिया व डण्डों से मारा–पीटा एवं गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। चोटहिल विनोद कुमार की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या केस डायरी के साथ संलग्न है, जिसमें उसके शरीर पर 01 चोट L/W 02x0.5 cm over left side of chest 0.5 cm below from left nipple injury KUO advice X–Ray chest P/A view. Tatooing not present c/c poor concious, oriented to time place person active bleeding present. Opinion Injury is caused by hard and blunt object duration about fresh. Injury is KUO referred to MSD ASMC Bahraich for X–Ray expert opinion and further management अंकित है। चोटहिल विनोद कुमार का इलाज किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में दिनांक–12.05.2026 से 17.05.2026 तक किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं०–9 में चोटहिल विनोद कुमार ने विवेचक को दिये अपने बयान में कथन किया कि दिनांक–12.05.2026 को राममूरत और उनके लड़के विवादित खेत से मिट्टी लाकर अपने घर पर पाट रहे थे। उन लोगों ने जब मना किया तो वे लोग उग्र हो गये और अपने रिश्तेदारों शंकर एवं विद्याधर को बुला लिया और गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। उसने व उसके घर वालों ने जब इसका विरोध किया, तो राममूरत और उनके लड़के राधेश्याम व धनीराम तथा रिश्तेदार शंकर व विद्याधर लाठी, डंडा, हसिया, भाला लेकर उसे, उसके पिता रामरूप एवं उसके चाचा देशराज के लड़के कैलाश व प्रमोद को मारने–पीटने लगे। वे सभी लोग अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भाग रहे थे, तभी वे लोग ईंट का अद्धा चलाने लगे, उसी बीच में राधेश्याम ने अपनी बन्दूक निकाल कर उसके ऊपर फायर कर दिया, जो उसके सीने के नीचे लगा और वह मौके पर बेहोश हो गया। फिर उसके घर वाले उसे सी०एच०सी० नानपारा अस्पताल लेकर गये, जहां से उसे जिला अस्पताल, बहराइच के लिये रेफर किया गया और हालत गम्भीर होने के

कारण के०जी०एम०यू० लखनऊ इलाज के लिये रेफर कर दिया गया। जब वे लोग लखनऊ में थे, तो पता चला कि सी०एच०सी० नानपारा में इलाज के दौरान ही राममूरत की मृत्यु हो गयी है और उनके घर वालों ने फंसाने के इरादे से उसके पिता, चाचा एवं भाई कैलाश तथा प्रमोद के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। केस डायरी के पर्चा सं०–10 में साक्षी चोटहिल कैलाश ने विवेचक को दिये अपने बयान में उक्त साक्षी के साक्ष्य के समान कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–12 में चोटहिल विनोद ने विवेचक द्वारा पूछे जाने पर बताया कि घटना के समय का वीडियो क्लिप उसके पास है, जो उसके परिवार के लोग बनाये थे। उक्त वीडियो में जो एक व्यक्ति सफेद शर्ट व काले लोवर में ईंटा, पत्थर चलाते हुए एवं कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहा है वह विद्याधर है तथा दूसरा व्यक्ति लाल टीशर्ट, काला पैन्ट पहने हुए ईंट, पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहा है वह व्यक्ति राधेश्याम है तथा तीसरा व्यक्ति नीला आसमानी कलर का टीशर्ट व लुंगी पहने एवं सिर पर पगड़ी बांधे हुए ईंटा, पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहा है वह शंकर है तथा चौथा व्यक्ति आसमानी कलर का टीशर्ट व हाफ चड्ढा पहने हुए ईंटा, पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहा है वह राममूरत है। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही चश्मदीद साक्षी श्रीमती ननकई ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया कि विपक्षी राममूरत से उन लोगों का जमीनी विवाद चल रहा था। दिनांक–12.05.2026 को विवादित खेत की जमीन से मिट्टी निकालकर विपक्षीगण अपने द्वार पर पाट रहे थे। जब देशराज मना किये तो उसके गांव के विपक्षीगण राधेश्याम, धनीराम, राममूरत व शंकर एवं विद्याधर ईंटा, पत्थर चलाते हुये तथा हाथ में असलहा लहराते हुए मारने–पीटने लगे। जब उसका लड़का विनोद बीच–बचाव करने गया तो उसे भी लोग मारने–पीटने लगे तथा धनीराम गाली–गुप्ता देते हुए धमकी देने लगा तथा अन्य सभी लोग जान से मारने के लिए ललकारने लगे, तभी राधेश्याम ने उसके बेटे विनोद के सीने पर भाला मार दिया और उसका लड़का तुरन्त गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़कर बीच–बचाव किये, तब वे लोग गोली चलाते हुये भाग गये। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही चश्मदीद साक्षीगण श्रीमती चम्पा, श्रीमती गोमती देवी, रामनिवास ने उक्त साक्ष्य के समान कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–16 में चिकित्सक साक्षी संतोष यादव ने विवेचक को दिये अपने बयान में मजरूब विनोद कुमार का मेडिकल उनके द्वारा इमरजेंसी नं०–2071 पर दिनांक–12.05.2026 को 07:30PM पर किये जाने, उसके प्राथमिक उपचार के दौरान एक चोट चेस्ट के पास हार्ड एवं ब्लंट आब्जेक्ट से आने, जिससे फ्रेश ब्लीडिंग होने, मजरूब के साथ आये परिजनों द्वारा बार–बार मजरूब को बंदूक से गोली लगने की बात बताये जाने, तब कन्फर्म के लिए उनके द्वारा मजरूब को एक्स–रे हेतु जिला अस्पताल, बहराइच रेफर कर देने का अभिकथन किया है। केस डायरी के साथ संलग्न फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त, सह–अभियुक्तगण शंकर व विद्याधर को पुलिस द्वारा दौरान विवेचना गिरफ्तार किया गया तथा सह–अभियुक्त विद्याधर की निशाँदेही परपतरहिया मोड़ के पास स्थित पुलिया के नीचे से घटना में प्रयुक्त अवैध कट्टा(आग्नेयास्त्र) व आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम की निशाँदेही पर पुलिया के पास स्थित झाड़ी से भाला बरामद किये गये हैं। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–137/2026, अन्तर्गत धारा–190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली नानपारा, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–10.07.2026 J.O.Code–UP2017